राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार

दिनांक 26.06.2021 को अपराह्न 4.00 से 6.00 बजे तक सभी जिला पदाधिकारी-सह-जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत) के साथ माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त, बिहार द्वारा विडियो कॉन्फ्रेन्सिंग

<u>कार्यवाही</u>

दिनांक 26.06.2021 को अपराह्न 4.00 बजे पंचायत आम निर्वाचन, 2021 की तैयारी के निमित्त माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में विडियो कॉन्फ्रेंसिंग की गई। उन्होंने सर्वप्रथम विडियो कॉन्फ्रेंसिंग में उपस्थित जिला पदाधिकारियों का स्वागत किया गया तथा उन्हें अवगत कराया गया कि पंचायत आम निर्वाचन, 2021 माह अगस्त से आरम्भ करते हुये अक्टूबर, 2021 तक सम्पन्न करा लेना है। स्वच्छ, निष्पक्ष, पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्वपूर्ण निर्वाचन कराना जिला पदाधिकारी-सह-जिला निर्वाचन पदाधिकारी की जिम्मेवारी है।

इसकी महत्ता को ध्यान में रखकर निर्वाचन कार्य को व्यक्तिगत रूप से क्रियान्वित करने का निदेश जिला पदाधिकारी को दिया गया। तत्पश्चात कार्यसूची पर चर्चा प्रारम्भ हुई।

1. पंचायत आम निर्वाचन, 2021 **M2 EVM** द्वारा कराये जाने के संबंध में;

सभी जिला पदाधिकारियों को पंचायत आम निर्वाचन, 2021 M2 EVM द्वारा सम्पन्न कराये जाने के संबंध में अवगत कराया गया।

पंचायत एवं ग्राम कचहरी के छः पदों पर एक साथ चुनाव कराये जाने के लिए ई.वी.एम. की आवश्यक्ता एवं उपलब्धता को ध्यान में रखते हुये अवगत कराया गया कि चार पद यथा – जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, ग्राम पंचायत मुखिया एवं ग्राम पंचायत सदस्य का निर्वाचन/ मतदान M2 EVM से तथा दो पद यथा – ग्राम कचहरी सरपंच एवं ग्राम कचहरी पंच का निर्वाचन/ मतदान मतपत्र के माध्यम से होंगे।

यदि ससमय समुचित संख्या में इ.वी.एम. प्रात हो जाती है तो उस स्थिति में ग्राम कचहरी सरपंच एवं ग्राम कचहरी पंच का निर्वाचन/ मतदान ई.वी.एम. से कराये जाने पर विचार किया जायेगा।

पूर्व में जिलों से नौ चरणों में निर्वाचन कराये जाने का प्रस्ताव प्राप्त है। इ.वी.एम., मानव बल तथा सुरक्षा बल के आवश्यकता एवं उपलब्धता के आधार पर दस चरण में निर्धारित किये जाने का प्रस्ताव है। चरणवार प्रखंड का निर्धारण इस प्रकार किया जाय कि बाढ़ प्रभावित प्रखंड बाद के चरण में हो। चरणवार प्रखंड का निर्धारण करते समय आयोग द्वारा आवंटित इ.वी.एम. की संख्या का ध्यान अवश्य रखा जाय। चरणवार प्रखंड निर्धारित कर दिनांक 05.07.2021तक आयोग को प्रेषित की जाय ताकि राज्य सरकार को अधिसूचना निर्गत करने हेतु प्रस्ताव भेजा जा सके।

निर्धारित कार्यक्रम में 1 दिन प्रपत्र-5 में प्रकाशन के लिए, 7 दिन नामांकन प्राप्त करने के लिए, 3 दिन संवीक्षा के लिए, 2 दिन अभ्यर्थिता वापसी के लिए, 11-12 दिन बीच में छोड़कर मतदान तथा एक दिन छोड़कर यानि मतदान के तीसरे दिन मतगणना, जिसे दो दिनों में पूरा कर लिया जाना है।

2. ई.वी.एम. प्रबंधन योजना (EVM Management Plan) पर विमर्श एवं दिये गये निदेश;

(क) आयोग द्वारा ई.वी.एम. प्रबंधन योजना (EVM Management Plan) पत्रांक 2393 दिनांक 25.06.2021 द्वारा सभी जिला पदाधिकारियों को पूर्व में ही प्रेषित है, का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

(ख) जिन राज्यों एवं उनके जिले से ई.वी.एम. लाया जाना है, संबंधित सूची पत्रांक 2393 दिनांक 25.06.2021 उपलब्ध करा दी गई है। सीतामढ़ी, शेखपुरा, गोपालगंज आदि जिलों से पृच्छा की गई कि इ.वी.एम. प्राप्त करने हेतु उनके जिलों को किसी राज्य से सम्बद्ध नहीं किया गया है। कुछ जिलों यथा - नालन्दा द्वारा इ.वी.एम. आवंटन सूची में सम्बद्ध राज्यों एवं जिलों के परस्पर विपरीत दिशा में होने की तरफ ध्यान आकृष्ट कराया गया।

आज के बैठक में विमर्श के दौरान प्राप्त सुझाव के अनुसार संशोधित सूची दिनांक 28.06.2021 को आयोग द्वारा प्रेषित कर दी जायेगी।

दिनांक 15 जुलाई, 2021 तक इ.वी.एम. मंगाये जाने की कार्रवाई सुनिश्चित की जाय। ताकि दिनांक15 जुलाई,2021 से 31 जुलाई, 2021 तक ई.वी.एम. का FLC सुनिश्चित कराया जा सके।

(ग) ई.वी.एम. के भंडारण आदि की व्यवस्था पूर्व में दिये गये राज्य निर्वाचन आयोग तथा भारत निर्वाचन आयोग के निदेश के आलोक में दिनांक 07.07.2021 तक अवश्य कर ली जाय।

(घ) इ.वी.एम. को लाये जाने के क्रम में अनुश्रवण हेतु आयोग द्वारा मोबाईल 'एप' दी जा रही है, जिसके आधार पर जिला पदाधिकारी भी अपने जिले से ई.वी.एम. लाने हेतु प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों एवं इ.वी.एम. के 'मुवमेन्ट' का अनुश्रवण अपने स्तर से करेंगे।

(ङ) इ.वी.एम. मंगवाये जाने की कार्रवाई के साथ-साथ जिले में भंडारित मतपेटिकाओं का भौतिक सत्यापन कराते हुये उसकी मरम्मति एवं तैलीकरण दिनांक 25.07.2021 तक करा ली जाय। इस संबंध में आयोग का निदेश भी प्रेषित कर दिया जायेगा।

(च) जिला पदाधिकारी, खगड़िया द्वारा ई.भी.एम. में लगने वाले मतपत्र तथा मतपत्रों जिनसे ग्राम कचहरी के निर्वाचन होंगे के मुद्रण के संबंध में पृच्छा की गई। आयोग द्वारा बताया गया कि इ.वी.एम. हेतु मतपत्र तो स्थानीय स्तर पर ही कराये जायेंगे परन्तु अन्य मतपत्रों को सुरक्षा के दृष्टिकोण से बाहर से ही मुद्रित कराया जायगा। इस संबंध में निदेश निर्गत किये जायेंगे।

(छ) कतिपय जिलों द्वारा इ.वी.एम. द्वारा मतदान होने पर मतगणना के उपरान्त शिकायत आदि के लिए कबतक इ.वी.एम. सुरक्षित रखा जाना है, से संबंधित पृच्छा की गई। इस सन्दर्भ में आयोग द्वारा बिहार पंचायत निर्वाचन नियमावली, 2006 के नियम-54 के आलोक में इ.वी.एम. द्वारा चुनाव कराये जाने पर मतगणना उपरान्त की जाने वाली कार्रवाई की जाय।

(ज) सम्पूर्ण मतगणना क्रम में ई.वी.एम. सी.यू. के रेकॉर्ड की विडियोग्राफी करा कर रखी जाय ताकि बाद में शिकायत प्राप्त होने पर उसका उपयोग किया जा सके। इसके अतिरिक्त मतगणना की गतिविधि पर नजर रखने हेतु सी.सी.टी.वी. कैमरा के माध्यम रेकर्ड कराने की कार्रवाई की जाय।

3. नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार द्वारा अधिसूचित नवगठित/उत्क्रमित/सीमा विस्तारित नगरपालिका के फलस्वरूप उत्पन्न स्थिति के संबंध में – मतदाता सूची एवं मतदान केन्द्र संशोधन;

(क) जिला पदाधिकारियों को अवगत कराया गया कि मतदाता सूची की तैयारी एवं मतदान केन्द्रों की स्थापना संबंधी कार्य किये जा चुके हैं। नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार द्वारा अधिसूचित नवगठित/उत्क्रमित/सीमा विस्तारित नगरपालिका के फलस्वरूप पंचायत आम निर्वाचन, 2021 में उन पंचायत क्षेत्रों एवं उससे संबंधित मतदान केन्द्र तथा इससे संलग्न मतदाताओं को ग्रामीण क्षेत्रों से अलग किया जाना है। तत्संबंधी कार्रवाई अधिकतम एक सप्ताह में की जाय।

(ख) आयोग के पत्रांक 2114 दिनांक 14.04.2021 द्वारा दिये गये निदेश के आलोक में कतिपय जिले यथा – बक्सर, गया, दरभंगा, नवादा, नालन्दा, पटना, पश्चिम चम्पारण, बाँका, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, रोहतास, शिवहर, समस्तीपुर, सिवान एवं सीतामढ़ी द्वारा कार्य पूर्ण नहीं किया गया है, जिससे मतदाता सूची एवं मतदान केन्द्रों को हटाये जाने की कार्रवाई में बाधा आ रही है। इन्हें निदेश दिया गया कि दो से तीन दिनों के अन्दर इस कार्य को सम्पन्न कर लेना सुनिश्चित करें ताकि निर्वाचन हेतु अग्रेतर कार्रवाई करने में बाधा उत्पन्न न हो।

कतिपय जिले जिनके द्वारा कार्य पूर्ण तो किया गया है पर उनमें कुछ त्रुटियाँ पाई गई हैं, –उनमें हैं – पूर्वी चम्पारण, गोपालगंज, बेगुसराय, कटिहार, पूर्णियाँ, सारण एवं औरंगाबाद। इस सन्दर्भ में आयोग द्वारा बताया गया कि पाये गये त्रुटियों को सोमवार तक प्रेषित कर दी जायेगी। सभी जिला पदाधिकारी-सह-जिला निर्वाचन पदाधिकारी आयोग से समन्वय स्थापित कर अविलम्ब त्रुटि का निराकरण कर दें।

कतिपय जिलों द्वारा आयोग द्वारा निर्धारित प्रपत्रों में अंकित करने तथा पंचायत के ग्राम पंचायत प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के दो भागों में बंटने के कारण आने वाले कठिनाईयों की ओर ध्यान आकृष्ट कराया गया। इस संबंध में आयोग द्वारा निदेश दिया गया कि उन कठिनाईयों को पत्र के माध्यम से आयोग को अवगत करा दें, जिससे कि अधिकतम एक सप्ताह में उसका निराकरण कर आपको अवगत कराया जा सके।

4. आयोग के वेबसाईट पर पंचायत के विभिन्न पदों के आरक्षण स्थिति अपलोड करने के संबंध में;

(क) आयोग द्वारा जिला पदाधिकारियों को अवगत कराया गया कि पंचायत के विभिन्न पदों के आरक्षण की स्थिति जिलों द्वारा अपलोड की गई है।

(ख) सारण, जमुई, किशनगंज, जहानाबाद एवं अरवल जिले द्वारा आरक्षण की स्थिति अपलोड संबंधी कार्य सम्पन्न करा दी गई है जो त्रुटि रहित है, के संबंध में उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सराहा गया।

(ग) शेष जिलों द्वारा की गई आरक्षण की स्थिति अपलोड की गई है, जिसे आयोग स्तर पर जाँच के क्रम में प्रविष्टी में त्रुटि पाये गये हैं, जिसे पत्र द्वारा सूचित किया गया है। इन त्रुटियों का निराकरण अधिकतम एक सप्ताह के अन्दर कराना सुनिश्चित की जाय।

5. मतपेटिका की वास्तविक स्थिति एवं उसके मरम्मति आदि के संबंध में;

आपके जिले में मतपेटिका भंडारित हैं, सूची के अनुसार सभी जिलों को मिलाकर 2,97,119 मतपेटिका उपलब्ध हैं। जिले में उपलब्ध मतपेटिकाओं का भौतिक सत्यापन कर उसकी स्थिति के अनुसार मरम्मति तथा तैलीकरण करने की कार्रवाई दिनांक 25.07.2021 तक कर ली जाय। इस संबंध में आयोग द्वारा निदेश शीघ्र दिये जायेंगे।

6. मतदान कर्मी एवं सुरक्षा संबंधी व्यवस्था;

(क) पंचायत आम निर्वाचन, 2021 में मतदान M2 EVM से कराये जाने के फलस्वरूप प्रत्येक मतदान केन्द्र पर कम से कम चार - बी.यू., चार - सी.यू. तथा दो मतपेटिका का उपयोग होगा, जिसमें कार्मिकों की अधिक संख्या की आवश्कता होगी, जिससे निम्न प्रकार से कार्मिकों की व्यवस्था की जायेगी :-

(i) मतदान हेतु कार्मिकों की आवश्यकता के अनुरूप प्रत्येक कर्मी विभिन्न चरणों में किया जा सकता है।

(ii)मतदान दल में एक पीठासीन पदाधिकारी तथा मतदान पदाधिकारी 1 से 5 तक रहेंगे यानि पूर्व से दो अधिक।

(iii) प्रत्येक दो मतदान केन्द्र पर एक पी.सी.सी.पी. रखा जायेगा।

(iv) इसके अतिरिक्त प्रत्येक पंचायत पर एक इ.वी.एम. कलस्टर होगा इसके अतिरिक्त प्रत्येक पंचायत पर एक ई.वी.एम. कलस्टर होगा जिसमें एक पी.सी.सी.पी. के स्तर के एक तथा मतदान पदाधिकारी स्तर के एक कर्मी रहेंगे। इस सन्दर्भ में कार्मिकों की आवश्यकता का आकलन कर ली जाय।

(ख) सुरक्षा कर्मी का Rotation प्रत्येक चरण में होगा। इसकी उपलब्धता एवं आवश्यकता का भी आकलन कर ली जाय। सुरक्षा बलों की व्यवस्था निम्न प्रकार से की जायेगी :-

(i) प्रत्येक सामान्य मतदान भवनवार कम-से-कम 1/3 के आधार पर तथा नक्सल क्षेत्र के मतदान भवनवार 2/8 के आधार पर सुरक्षा बल लगायी जाय।

(ii) प्रत्येक दो मतदान केन्द्र पर एक पी.सी.सी.पी. के साथ कम-से-कम 1/4 के आधार पर सुरक्षा बल लगायी जाय।

(iii) प्रत्येक पंचायत स्तर पर एक इ.वी.एम. कलस्टर के लिए कम-से-कम 1/4, प्रत्येक सेक्टर पर कम-से-कम 1/4 तथा प्रत्येक जोन के साथ कम-से-कम 1/4 के आधार पर सुरक्षा बल लगाई जाय।

(iv) प्रत्येक प्रखंड स्तरीय नियंत्रण कक्ष के साथ कम-से-कम 1/4 तथा प्रत्येक अनुमंडल पदाधिकारी के साथ कम-से-कम 1/4 के आधार पर सुरक्षा बल लगाई जाय।

(v) बज्रगृह सुरक्षा हेतु कम-से-कम 2/8 के आधार पर तीन सेक्शन सुरक्षा बल लगायी जायेगी।

उपरोक्त सुरक्षा व्यवस्था न्यूनतम रूप से निदेशित किये गये हैं। स्थानीय परिस्थिति का आकलन कर आवश्यकतानुसार समुचित सुरक्षा बल लगायी जाय।

(ग) कोविड-19 से संबंधित Govt. of India, MHA एवं Ministry of Health, Govt. of India के पत्रों / निदेशों के आलोक में राज्य सरकार के गृह विभाग एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन तथा पूर्व में विधान सभा आम निर्वाचन, 2020 में प्राप्त अनुभव का उपयोग करते हुए स्वास्थ्य विभाग से समन्वय स्थापित कर निर्वाचन की तैयारी की जाय।

(घ) जिलान्तर्गत सभी कर्मियों/ सुरक्षा बलों का कोविड-19 से संबंधित vaccination कराना सुनिश्चित किया जाय।

(ङ) चुनाव कार्य में लगने वाले वाह्य कर्मियों का कोविड संबंधी आवश्यक जाँच यथासंभव अवश्य करा कर ही उपयोग किया जाय।

(च) पंचायत निर्वाचन से संबंधित सभी मतदाताओं को भी यथासंभव कोविड-19 से संबंधित vaccination करा दिया जाय।

7. मतदान सामग्री की तैयारी;

ई.भी.एम. तथा मतपेटिका द्वारा निर्वाचन कराये जाने हेतु मतदान सामग्रियों का आकलन कर व्यवस्था की जाये।

8. अन्यान्य।

मतदाता सूची तथा मतदान केन्द्र संबंधी शिकायत जो जिलों को प्रेषित किये जाते हैं, जिन्हें शिकायत समाधान पोर्टल पर भी अपलोड है, के निष्पादन क्रम में जिसके विरूद्ध शिकायत हैं, कम से कम उनसे एक स्तर ऊपर के पदाधिकारी से जाँच कराकर ही निष्पादित किया जाय।

शिकायत समाधान के निष्पादन में वैशाली, अरवल, पूर्वी चम्पारण, जमुई तथा किशनगंज द्वारा अच्छा प्रदर्शन किया गया है तथा सिवान, समस्तीपुर, बक्सर, गया एवं पूर्णिया जिला द्वारा इसे निष्पादन में बिल्कुल अभिरूचि नहीं दिखाई जा रही है।

सधन्यवाद विडियो कॉन्फ्रेंसिंग समाप्त किया गया।

सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार।

ज्ञापांक –पं.नि.30-119/2021 – 2422 पटना, दिनांक - 29.6.21

प्रतिलिपि सभी जिला पदाधिकारी-सह-जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार।

ज्ञापांक –पं.नि.30-19/2021 – 2422 पटना, दिनांक - 29.6.21

प्रतिलिपि सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/ सभी पुलिस महानिरीक्षक/ सभी पुलिस उप महानिरीक्षक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार।

ज्ञापांक –पं.नि.30-19/2021 – 2422 पटना, दिनांक - 29.6.21

प्रतिलिपि पुलिस महानिदेशक, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार।

ज्ञापांक –पं.नि.30-19/2021 – 2422 पटना, दिनांक - 29.6.21

प्रतिलिपि अपर मुख्य सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार।

ज्ञापांक –पं.नि.30-19/2021 – 2422 पटना, दिनांक - 29.6.21

प्रतिलिपि मुख्य सचिव, बिहार सरकार को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सचिव, 29/06/21
राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार।

D:\pm5\P_E_2021/234